भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 733
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण योजनाएं

733. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में और विशेषकर कोनसीमा जिले में योजनावार और जिलावार कार्यान्वित योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में और विशेषकर कोनसीमा जिले में इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों/सूक्ष्म ,खाद्य उद्यमों और एफपीओ की जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश में और विशेषकर उक्त जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार और जिलावार स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(घ) उक्त राज्यों और विशेषकर कोनसीमा जिले में इन योजनाओं के अतंर्गत जिलावार निर्मित अवसरंचना क्या है;

(ङ) आंध्र प्रदेश और विशेषकर उक्त जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों और श्रमिकों के लिए संचालित क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम क्या है तथा उनके लाभार्थी कौन हैं;

(च) उक्त राज्यों और विशेषकर कोनसीमा जिले में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के अंतर्गत जिलावार सृजित रोजगार के अवसर क्या हैं;

(छ) क्या आंध्र प्रदेश से और विशेषकर कोनसीमा जिले से कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार का कोनसीमा जिले के कयर उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के समग्र विकास को बढ़ावा देने और उसे सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना(पीएलआईएसएफ़पीआई) के ज़रिए इससे जुडी अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को बढ़ावा दे रहा है। एमओएफ़पीआई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। तीनों स्कीमें क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिला सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उक्त तीन योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का कोनासीमा जिले सहित जिलावार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधि का आबंटन नहीं किया गया है । हालाँकि 2022-23 से वर्ष -वार कुल बजट आबंटन और निधि का इस्तेमाल और 2022-23 से पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश को जारी की गई निधि में केंद्र के हिस्से की जानकारी **अनुबंध-II** में दी गई है ।

(घ): आंध्र प्रदेश राज्य में कोनासीमा जिले सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उक्त तीन योजनाओं के अंतर्गत चालू खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): पीएमएफ़एमई स्कीम के क्षमता निर्माण घटक में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट पाने के लिए सिफारिश किए गए व्यक्ति और समूह श्रेणी (एसएचजी/ एफ़पीओ/ सहकारी समितियों) के सभी आवेदकों के लिए 24 घंटे/3 दिन, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण और पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत प्रारम्भिक पूंजी के एसएचजी लाभार्थी के लिए 8 घंटे/1 दिन का प्रशिक्षण देना परिकल्पित है। अब तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 7,534 लाभार्थिओं को प्रशिक्षण दी जा चुकी है, जिसमें कोनासीमा जिले के 109 लाभार्थी शामिल हैं।

(च): आंध्र प्रदेश राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उक्त तीन योजनाओं के अंतर्गत चालू खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से सृजित रोजगार का विवरण, कोनासीमा जिले सहित जिलेवार **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(छ): पीएमकेएसवाई और पीएमएफ़एमई स्कीम मांग आधारित हैं और आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। परियोजनाओं को संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार मंज़ूरी दी जाती है।

(ज): पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत एक ज़िला एक प्रोडक्ट (ओडीओपी) तरीका अपनाया गया है ताकि इनपुट खरीदने, सामान्य सर्विस और उत्पाद की मार्केटिंग के मामले में स्केल का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के अलाइनमेंट के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ओडीओपी की पहचान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद के खराब होने की संभावना वगैरह के आधार पर करते हैं।

नारियल की जूट एक प्राकृतिक रेशा है, खाद्य उत्पाद नहीं है और इसलिए यह पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत कवर नहीं होता है। हालांकि, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में 'नारियलजूट' को ओडीओपी प्रोडक्ट्स के तौर पर पहचाना है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 4 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण योजनाएँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में एमओएफ़पीआई की इन तीन योजनाओं के तहत मंज़ूर फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या

क्र.सं.	**आंध्र प्रदेश का जिला**	**पीएमएफएमई के तहत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या**	**पीएमकेएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत अलग-अलग जगहों पर मंज़ूर यूनिट्स की संख्या**
1.	अल्लूरी सीताराम राजू	1099	0	0
2.	अनकापल्ली	378	0	0
3.	अनंतपुर	247	3	0
4.	अन्नमय्या	107	0	0
5.	बापतला	250	0	1
6.	चित्तूर	367	13	4
7.	पूर्वी गोदावरी	483	9	9
8.	एलुरु	310	4	0
9.	गुंटूर	238	4	8
10.	काकीनाडा	313	4	3
11.	**कोनासीमा**	**431**	**0**	**0**
12.	कृष्ण	197	10	2
13.	कुरनूल	405	0	0
14.	नांदयाल	147	0	0
15.	एनटीआर	185	0	0
16.	पलनाडु	133	0	0
17.	पार्वतीपुरम मान्यम	253	0	0
18.	प्रकाशम	252	1	4
19.	एसपीएसआर नेल्लोर	339	7	2
20.	श्री सत्य साईं	152	1	0
21.	श्रीकाकुलम	673	0	0
22.	तिरुपति	322	0	0
23.	विशाखापत्तनम	154	5	0
24.	विजयनगरम	485	1	0
25.	पश्चिम गोदावरी	251	9	5
26.	वाईएसआर	117	1	0

अनुबंध- II

दिनांक 4 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण योजनाएँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफ़पीआई और पीएमएफ़एमई योजनाओं में आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	2022-23		2023-24		2024-25	
	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
पीएमकेएसवाई	673.00	561.92	745	666.20	630	540.12
पीएलआईएसएफपीआई	801	489.83	1150	590.50	700	450.49
पीएमएफएमई	290	274.76	800	778.84	1200	1023.10

आरई—संशोधित अनुमान, एई- वास्तविक व्यय

2020-21 से पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश को जारी निधि

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	18.56	46.25	10.62

*****

अनुबंध- III

दिनांक 4 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण योजनाएँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में एमओएफ़पीआई की इन तीन योजनाओं के तहत चालू फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या

क्र.सं.	**आंध्र प्रदेश का जिला**	**पीएमएफएमई के तहत चालू सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या**	**पीएमकेएसवाई के तहत चालू परियोजनाओं की संख्या**	**पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत अलग-अलग जगहों पर चालू यूनिट्स की संख्या**
1.	अल्लूरी सीताराम राजू	0	654	0
2.	अनकापल्ली	0	260	0
3.	अनंतपुर	1	211	0
4.	अन्नमय्या	0	83	0
5.	बापतला	0	230	1
6.	चित्तूर	7	306	4
7.	पूर्वी गोदावरी	5	371	8
8.	एलुरु	2	213	0
9.	गुंटूर	2	202	8
10.	काकीनाडा	1	259	3
11.	**कोनासीमा**	**0**	**354**	**0**
12.	कृष्ण	5	177	2
13.	कुरनूल	0	317	0
14.	नांदयाल	0	127	0
15.	एनटीआर	0	116	0
16.	पलनाडु	0	110	0
17.	पार्वतीपुरम मान्यम	0	222	0
18.	प्रकाशम	1	138	4
19.	एसपीएसआर नेल्लोर	4	279	2
20.	श्री सत्य साईं	0	132	0
21.	श्रीकाकुलम	0	540	0
22.	तिरुपति	0	248	0
23.	विशाखापत्तनम	3	81	0
24.	विजयनगरम	0	394	0
25.	पश्चिम गोदावरी	7	175	5
26.	वाईएसआर	0	96	0

अनुबंध- IV

"दिनांक 4 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित खाद्य प्रसंस्करण योजनाएँ" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 733 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>आंध्र प्रदेश राज्य में एमओएफ़पीआई की इन तीन स्कीमों के तहत चल रही खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों से मिले रोज़गार की जानकारी</u>

क्र.सं	आंध्र प्रदेश का जिला	पीएमएफ़एमई के तहत चालू माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ के ज़रिए पैदा हुए रोज़गार की संख्या	पीएमकेएसवाई के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स से पैदा हुए रोज़गार की संख्या	पीएलआईएसएफ़पीआई के तहत अलग-अलग जगहों पर चालू यूनिट्स के ज़रिए पैदा हुए रोज़गार की संख्या
1.	अल्लूरी सीताराम राजू	0	1962	0
2.	अनकापल्ली	0	780	0
3.	अनंतपुर	600	633	0
4.	अन्नमय्या	0	249	0
5.	बापतला	0	690	4537
6.	चित्तूर	20576	918	1396
7.	पूर्वी गोदावरी	3000	1113	23409
8.	एलुरु	700	639	0
9.	गुंटूर	637	606	2688
10.	काकीनाडा	37	777	8157
11.	**कोनासीमा**	**0**	**1062**	**0**
12.	कृष्ण	2944	531	6488
13.	कुरनूल	0	951	0
14.	नांदयाल	0	381	0
15.	एनटीआर	0	348	0
16.	पलनाडु	0	330	0
17.	पार्वतीपुरम मान्यम	0	666	0
18.	प्रकाशम	600	414	6748
19.	एसपीएसआर नेल्लोर	3979	837	1676
20.	श्री सत्य साईं	0	396	0
21.	श्रीकाकुलम	0	1620	0
22.	तिरुपति	0	744	0
23.	विशाखापत्तनम	1237	243	0
24.	विजयनगरम	0	1182	0
25.	पश्चिम गोदावरी	7778	525	20912
26.	वाईएसआर	0	288	0

*****